

लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन  
[www.chandigarh.gov.in](http://www.chandigarh.gov.in)  
प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 22 जुलाई - चण्डीगढ़ प्रशासन ने यूटी में बेचे जाने वाले मिट्टी तेल के थोक ब्रिकी और खुदरा मूल्यों को निर्धारित किया है जो हरियाणा के अंबाला और बहादुरगढ़ डिपों पर प्राप्त होता है।

चण्डीगढ़ प्रशासन ने कहा कि खाद्य व आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा आदेश प्रारित किया गया कि खुदरा मूल्य दर प्रति किलो लीटर 12,054.49 रूपये होगी।

सभी वेट चार्जों को लगाकर एक लीटर 12.41 रूपये में निर्धारित किया गया है। उक्त दरें तत्काल प्रभाव से जारी की जाएंगी।